संख्या-09 /2021/293जेएल/22-3-2021-800(102)/2020

प्रेषक,

सुरेश कुमार पाण्डेय,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिला मजिस्ट्रेट,
कानपुर नगर।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3 *लखनऊ: दिनांक: 02 मार्च, 2021*

विषय- जिला कारागार कानपुर नगर के सिद्धदोष बंदी सुरेन्द्र शुक्ला उर्फ नीलू पुत्र श्री श्याम नारायण शुक्ला, निवासी-127/108, न्यू ब्लाक, निराला नगर, थाना-किदवई नगर, जनपद-कानपुर नगर को पैरोल (दण्ड का अस्थाई निलम्बन) वृद्धि प्रदान करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-2332/जि0मजि0/जि0प्रो0का0/बंदी पैरोल/2020-21, दिनांक 23-02-2021 में की गयी संस्तुति के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त जिला कारागार कानपुर नगर के सिद्धदोष बंदी सुरेन्द्र शुक्ला उर्फ नीलू पुत्र श्री श्याम नारायण शुक्ला, निवासी-127/108, न्यू ब्लाक, निराला नगर, थाना-किदवई नगर, जनपद-कानपुर नगर को शासनादेश संख्या-05/2021/149जेपीआर/22-3-2020-800(102)/2020, दिनांक 25-01-2021 के क्रम में एक माह की पैरोल (दण्ड का अस्थाई निलम्बन) वृद्धि स्वीकृत की जाती है। शेष शर्ते यथावत रहेंगी।

भवदीय,
सुरेश कुमार पाण्डेय
विशेष सचिव।

संख्या-09/2021/293जेएल(1)/22-3-2021-तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0।
2- पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0 लखनऊ।
3- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, कानपुर नगर।
4- वरिष्ठ अधीक्षक, जिला कारागार कानपुर नगर।
5- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
कृष्ण कुमार सिंह
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।